बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

पटना– 15, दिनांक....................

श्री वीरेन्द्र कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–560/2024 (1432/2011) तत्कालीन परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, मुंगेर सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा–2011 में दिनांक–02.02.2012 को कदाचार के लिए निष्कासित किया गया। एतद्संबंधी आरोप पर कार्रवाई हेतु राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पत्रांक–173 दिनांक 21.02.2012 द्वारा आरोप, प्रपत्र–'क' उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक–3647 दिनांक 06.03.2012 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उन्होंने स्पष्टीकरण (दिनांक 26.03.2012) समर्पित किया। सम्यक् विचारोपरांत आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 (2) के प्रावधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक–15516, दिनांक 09.11.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। तदुपरांत पत्रांक–14799 दिनांक 22.11.2017 द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 07.12.2017) प्राप्त हुआ। सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक–10.09.2018 द्वारा (i) 03 वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) 03 वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से) का दंड अधिरोपित किया गया।

संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक–10.09.2018 द्वारा अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु श्री कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन (पत्रांक–458 दिनांक 16.03.2022) समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार का पुनर्विचार अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित नहीं किया गया है। अतएव विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6187 दिनांक–22.04.2022 द्वारा उनके पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–923/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 05.02.2026 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक 10.09.2018 द्वारा अधिरोपित दंड एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–6187 दिनांक 22.04.2022 को निरस्त कर दिया गया है तथा समरूप आरोप के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मो० एहसान अहमद, बि०प्र०से० और श्री शिवशंकर पासवान, बि०प्र०से० को दिये गये दंड को ध्यान में रखते हुए याचिका कर्त्ता श्री कुमार के दंड के संबंध

में विधि के अनुसार Fresh decision छः सप्ताह के अन्दर लेने हेतु मामला अनुशासनिक प्राधिकार को remand back किया गया है। उक्त पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

17. Accordingly, the order impugned, contained in Memo No 6187 dated 22.04.2022 issued under the signature of the Under Secretary to the Government, General Administration Department, Government of Bihar, Patna and Memo No 12113 dated 10.09.2018 issued under the signature of the Under Secretary to the Government, General Administration Department, Government of Bihar, Patna are hereby set aside.

18. The matter is remitted back to the Disciplinary Authority to take a fresh decision in accordance with law after taking into account the orders of punishment passed in the cases of Ehsan Ahmad and Sheo Shankar Paswan.

19. The decision must be taken by the Disciplinary Authority within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

20. With the above mentioned observation/direction, this writ petition is disposed of.

राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित द्वितीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2011 में कदाचार में लिप्त होने संबंधी समरूप आरोपों के लिए मो० एहसान अहमद, बि०प्र०से० को निन्दन (आरोप वर्ष–2011–12) एवं अंसचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक तथा श्री शिवशंकर पासवान, बि0प्र0से0 को प्रोन्नति पर देय तिथि से दो वर्ष तक रोक का दंड अधिरोपित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री कुमार को दिये गये दंड पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनर्विचार किया गया। सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दंड को वापस लेते हुए **"प्रोन्नति पर देय तिथि से दो वर्ष तक रोक"** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–923/2023 में दिनांक 05.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–560/2024 (1432/2011) तत्कालीन परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, मुंगेर सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक 10.09.2018 द्वारा अधिरोपित दंड एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–6187 दिनांक 22.04.2022 को वापस लेते हुए **"प्रोन्नति पर देय तिथि से दो वर्ष तक रोक"** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–83 / 2017,सा०प्र०.....4578...../ पटना, दिनांक.....9.3.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जमुई / सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, जमुई / नवादा / श्री वीरेन्द्र कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–560 / 2024 (1432 / 2011) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14 एवं 29 / आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.3.26

सरकार के अवर सचिव।

Path- E:\New folder -08\J.P SIR New\Sanklap.docx